पटना उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार में

2024 का आपराधिक विविध No.63530

थाना से उद्धृत - मुसरीघरारी थाना कांड संख्या.-16 वर्ष-2024 जिला-समस्तीपुर

==========

राजा कुमार पासवान उर्फ राजा पासवान उर्फ राजा कुमार, पिता- विवेक पासवान, ग्राम-हरपुर अलोथ, पी. एस.-मुसारीघरारी, जिला-समस्तीपुर का निवासी।

.....याचिकाकर्ता

बनाम

बिहार राज्य सरकार .....विपक्षीगण

==========

उपस्थिति:

याचिकाकर्ता/ओं के लिए : श्री शिव कुमार प्रसाद, अधिवक्ता

विरोधी पक्ष के लिए : श्री भारत भूषण, एपीपी

==========

दंड प्रक्रिया संहिता --- धारा 439, 440 --- भारतीय दंड संहिता --- धारा 328, 302, 307, 379, 411, 304, 120 (बी), 34 आईपीसी --- दोषपूर्ण जांच --- याचिकाकर्ता की ओर से नियमित जमानत याचिका जिसके खिलाफ धारा 302 आईपीसी के तहत आरोप पत्र प्रस्तुत किया गया है इस आधार पर कि मृतक व्यक्ति का सिम कार्ड उसके कब्जे में पाया गया था ---- आरोप है कि सूचना देने वाले के बेटे को जहर दिया गया था --- याचिकाकर्ता की ओर से तर्क कि पुलिस ने यह पता लगाने के लिए सुनील कुमार राय का बयान नहीं लिया है कि क्या मृतक और सुनील कुमार राय ने शराब का सेवन किया था जो घातक साबित हुआ और/या किसी ने उन्हें जहर दिया।

निष्कर्ष: इस न्यायालय के आदेश के अनुपालन में आयोजित एक ताजा जांच के अनुसार, विद्वान् एपीपी ने प्रस्तुत किया कि जब दो व्यक्ति (मृतक सहित) सड़क पर बेहोश पड़े थे, आरोप यह है कि याचिकाकर्ता ने पर्स और मोबाइल भी ले लिया, जिसके परिणामस्वरूप सिम कार्ड उसके पास था और इस प्रकार उसके खिलाफ आईपीसी की धारा 302 के तहत आरोप पत्र प्रस्तुत किया गया था --- जांच अधिकारी द्वारा इस दोषपूर्ण जांच के कारण, याचिकाकर्ता, एक साफ पृष्ठभूमि वाला 19 वर्षीय लड़का, आई.पी.सी की धारा 302 के तहत मुकदमे का सामना कर सकता था --- एस.पी., समस्तीपुर ने दोषी जांच अधिकारी के खिलाफ उचित कार्रवाई करने का निर्देश दिया। तथा अपने अधीन सभी पुलिस अधिकारियों को इस संबंध में आवश्यक दिशा-निर्देश जारी करने को कहा ताकि पुलिस द्वारा कानून के नियमों का उचित रूप से पालन किया जा सके---याचिकाकर्ता को दी गई अनंतिम जमानत की पुष्टि की गई। पुलिस अधिकारियों को व्यक्तिगत उपस्थिति से छूट दी गई तथा उन्हें समाज की सेवा पूरी लगन से करने के लिए कहा गया। साथ ही यह भी सुनिश्चित किया गया कि समाज के सबसे निचले तबके के लोगों को सिर्फ इसलिए पीड़ित न बनाया जाए क्योंकि उनकी बात सुनने वाला कोई नहीं है। **(पैरा-10-13, 15)**

पटना उच्च न्यायालय का निर्णय/आदेश

==========

कोरमः माननीय न्यायमूर्ति श्री राजीव रॉय

मौखिक निर्णय

तिथि - 17-01-2025

पक्षकारों को सुना।

2. अंतिम आदेश दिनांक 03.12.2024, के अनुसार, सहाय़क थानाध्य़क्ष, मुसरिघरारी, अमित कुमार और जांच अधिकारी सिकंदर कुमार अदालत में मौजूद हैं।

3. याचिकाकर्ता भारतीय दंड संहिता की धारा 328,302,307,120 (बी) और 34 के तहत दंडनीय अपराधों के लिए 2024 के मुसारीघरारी थाना कांड संख्या 16 के संबंध में न्यायिक हिरासत में है, जो सूचना देने वाले रामजतन राय़ द्वारा 03.02.2024 को दर्ज किया गया है।

4. अभियोजन पक्ष की कहानी के अनुसार, सूचक ने आरोप लगाया कि जब वह अपने दरवाजे पर था, तब सुनील कुमार राय उर्फ बाउआ आया और मेरे पुत्र रंजीत कुमार राय को मोटरसाइकिल पर ले गया, लेकिन वह लौटने में विफल रहा।बाद में तलाशी लेने पर, सूचक को पता चला कि उसका पुत्र और सुनील कुमार राय बेहोशी की हालत में लेटा है।उन्हें समस्तीपुर के सदर अस्पताल ले जाया गया।बाद में, उनके पुत्र को मृत घोषित कर दिया गया, जबकि सुनील कुमार राय को बेहतर इलाज के लिए पटना ले जाया गया। सूचक अपने पुत्र शाजिस के तहत जहर देने का आरोप लगाय़ा है।

5. दिनांक 3-12-2024 को मामले की सुनवाई करते समय, इस अदालत ने देखा कि हालांकि सुनील कुमार राय का इलाज चल रहा था, लेकिन उनका बयान जांच अधिकारी द्वारा दर्ज नहीं किया गया था और याचिकाकर्ता के खिलाफ भा दं सं की धारा

302 के तहत आरोप पत्र केवल इसलिए प्रस्तुत किया गया था क्योंकि मृतक का सिम कार्ड उसके पास में था।

6. उपरोक्त परिस्थितियों में इस अदालत ने पुलिस अधीक्षक, समस्तीपुर को सुनील कुमार राय का बयान दर्ज कराने का निर्देश दिया. क्योंकि स्पष्ट रूप से जांच त्रुटिपूर्ण थी।

7. **दिनांक- 3-12-2024 के आदेश के अनुच्छेद 6 से 10** निम्न प्रकार है-

> *"6. एक पहलू यह है की सूचना देने वाले ने पुत्र को जहर देने का आरोप केवल इसलिए लगाया है क्योंकि सिम याचिकाकर्ता के पास था और पुलिस ने भारतीय दंड संहिता की धारा 302 के तहत आरोप पत्र प्रस्तुत किया है। दूसरी ओर, तथ्य यह है कि सूचना देने वाले के पुत्र की मौत हो गई, एवं सुनील कुमार राय का इलाज चल रहा था। उन परिस्थितियों में सुनील कुमार राय का बयान दर्ज करना पुलिस का कर्तव्य था।*
>
> *7. हालाँकि, याचिकाकर्ता के विद्वान वकील और विद्वान एपीपी श्री भारत भूषण ने इस बात का समर्थन किया कि पुलिस ने यह पता लगाने के लिए सुनील कुमार राय का बयान नहीं लिया है कि क्या मृतक और सुनील कुमार राय ने शराब का सेवन किया था जो घातक साबित हुई और/या किसी ने उन्हें जहर दिया।*
>
> *8. ऐसा लगता है कि पुलिस समय सीमा को पूरा करने के लिए आरोप पत्र दायर करने की जल्दबाजी में इस निष्कर्ष पर*

पहुंचने की जहमत नहीं उठाती है कि क्या यह एक दुर्घटना है या हत्या है और नियमित तरीके से भारतीय दंड संहिता की धारा 302 के तहत आरोप पत्र प्रस्तुत किए जाते हैं।यह स्पष्ट रूप से कानून और समय-समय पर पुलिस को दिए गए निर्देशों का पूर्ण उल्लंघन है।यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि याचिकाकर्ता की आयु 19 वर्ष है और उसका कोई आपराधिक पृष्ठभूमि नही है। और इस प्रकार एक उचित जांच, समय की आवश्यकता है क्योंकि उसके भविष्य का प्रश्न है।

9. समस्तीपुर के पुलिस अधीक्षक को इस मामले में बहुत कुछ करना है।तुरंत, मामले की अग्रेतर जांच पुलिस उपाधीक्षक के पद से नीचे के अधिकारी को सौंपी नहीं जानी चाहिए क्योंकि यह एक ऐसा मामला है जहां पुलिस ने भारतीय दंड संहिता की धारा 302 के तहत आरोप पत्र प्रस्तुत किया है, जबकि कथा वैकल्पिक संभावना को इंगित करती है कि यह जहरीली शराब के सेवन के कारण एक दुर्घटना थी।यह दोहराया जाना चाहिए कि एक ऐसे व्यक्ति (याचिकाकर्ता) का जीवन दांव पर है जिसकी उम्र 19 वर्ष है और जिसकी आज तक कोई आपराधिक पृष्ठभूमि नहीं है।

10. पुलिस सुनील कुमार राय के साथ-साथ अन्य ग्रामीणों के बयान को दर्ज करने के लिए बाध्य है, जिन्होंने घटना से तुरंत पहले मृतक / सुनील कुमार राय को एक साथ देखा होगा।

8. इसके अनुसार, पुलिस अधीक्षक, समस्तीपुर की ओर से एक **जवाबी हलफनामा Dy.S.P. (आर), समस्तीपुर** के माध्यम से रिकॉर्ड है जिसमें पूरी तरह से जांच के बाद, यह निष्कर्ष निकला है कि मामला **भा. दं. सं. की धारा 302/307/328 128 (बी)** के तहत साबित नहीं हुई है, बल्कि यह मामला **भा दं सं की धारा 379,411,304/34** के तहत का है।

9. विद्वान एपीपी, श्री भारत भूषण प्रस्तुत करते हैं कि जब दो व्यक्ति (मृतक सहित) सड़क पर बेहोश पड़े थे, तो आरोप है कि याचिकाकर्ता ने पर्स के साथ-साथ मोबाइल भी ले लिया, जिसके परिणामस्वरूप सिम कार्ड उसके पास था और इस प्रकार भा दं सं की धारा 302 के तहत उसके खिलाफ आरोप पत्र प्रस्तुत किया गया था।

10. यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि उच्च न्यायालय को इस तरह के मामले में हस्तक्षेप करना पड़ता है। जब घटना के संबंध में दो अलग-अलग पहलू आए हैं, तो पुलिस विशेष रूप से एस. आई. सिकंदर कुमार (जो अदालत में मौजूद हैं) ने अभियुक्त व्यक्तियों के विरुद्ध भा दं सं की धारा 302,328,307,120 (बी) और 34 के अधीन उचित जाँच किए बिना और/या सुनील कुमार राय का बयान दर्ज किए बिना आरोप पत्र दायर किया है । यह इस तथ्य से पता चलता है कि उनके अपने वरिष्ठ पुलिस अधिकारी **(अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक-सह - Dy.S.P. सदर-1, समस्तीपुर)** ने अब एक अलग संस्करण दर्ज किया है और पूरे आरोप बदल गए हैं।

11. **एस. आई. श्री सिकंदर कुमार** द्वारा की गई इस त्रुटिपूर्ण जांच के कारण, याचिकाकर्ता को भा दं सं की धाराओं के तहत मुकदमे का सामना करना पड़ता।इस अदालत ने इससे पहले इस तथ्य पर ध्यान दिया था कि याचिकाकर्ता की उम्र केवल उन्नीस साल है और कोई आपराधिक पृष्ठभूमि नहीं है उसे तीन महीने के लिए अस्थायी जमानत दिया गया।

12. एस. आई. श्री सिकंदर राय की कार्रवाई अक्षम्य है। हालांकि, अदालत उनके खिलाफ कोई प्रतिकूल आदेश पारित करने से बचती है और यह **एस. पी., समस्तीपुर** पर है कि वह कानून के अनुसार आवश्यक कार्रवाई करे/उचित कदम उठाए क्योंकि वह वर्तमान में उनके अधीन तैनात है। हालाँकि, एस. पी., समस्तीपुर को अपने अधीन सभी पुलिस अधिकारियों को इस संबंध में आवश्यक दिशा-निर्देश जारी करने चाहिए ताकि पुलिस द्वारा कानून के शासन का उचित रूप से पालन किया जा सके।

13. याचिकाकर्ता को पहले अंतरिम राहत दी गई थी, जैसा कि ऊपर दर्ज किया गया है, वह केवल उन्नीस साल का है, पहले से ही पीड़ित है क्योंकि उसने बेहोश व्यक्ति का पर्स और मोबाइल उठाया था जैसा कि आरोप लगाया गया है और उसका कोई आपराधिक इतिहास नहीं है, उस पृष्ठभूमि में, यह अदालत उसे राहत देने के लिए इच्छुक है।

14. याचिकाकर्ता को दिनांकित 03.12.2024 आदेश के माध्यम से दी गई अस्थायी जमानत की पुष्टि निम्नलिखित शर्तों पर करती है।

(i) जमानतदारों में से एक याचिकाकर्ता का परिवार का सदस्य/रिश्तेदार होना चाहिए जो अपनी पहचान की सत्यता दिखाने के लिए आधिकारिक दस्तावेज प्रदान करेगा।

(ii) याचिकाकर्ता प्रत्येक तिथि को विचारण न्यायालय के समक्ष उपस्थित होगा और बिना किसी कारण के लगातार दो तिथियों के लिए ऐसा करने में विफल रहने पर विचारण न्यायालय द्वारा स्वयं उसके जमानत बंधपत्र को रद्द कर दिया जाएगा।

(iii) याचिकाकर्ता किसी भी तरह से गवाहों को प्रेरित करने या वादा करने या धमकी देने या सबूतों के साथ छेड़छाड़ करने का प्रयास नहीं करेगा, एवं विफल रहने पर राज्य जमानत बंधपत्र को रद्द करने के लिए कदम उठाने के लिए स्वतंत्र होगा।

(iv) याचिकाकर्ता फिर से कोई आपराधिक अपराध करने से बचेगा, एवं विफल रहने पर राज्य को उसके जमानत बंधपत्र को रद्द करने के लिए कदम उठाने की स्वतंत्रता होगी।

15. एस. आई. सिकंदर कुमार और अतिरिक्त स्टेशन प्रमुख अधिकारी, मुसहरिघरारी, अमित कुमार उन्हें भविष्य में सावधान रहने की चेतावनी के साथ की व्यक्तिगत उपस्थिति से मुक्त किया जाता है। शर्वशक्तिमान की कृपा से, सरकारी नौकरी के माध्यम से, उन्हें समाज की सेवा करने का अवसर मिला है, जो उन्हें लगन से करना चाहिए और आगे यह देखना चाहिए कि समाज के सबसे निचले वर्ग के लोगों को पीड़ित केवल इसलिए नहीं बनाया जाए क्योंकि उनके मामले को सुनने वाला कोई नहीं है।

16. आदेश की एक प्रति एस. पी., समस्तीपुर को उनके अवलोकन और आवश्यक कार्रवाई के लिए भेजी जाए।

अदनान/-

(राजीव रॉय, न्यायमूर्ति)

खंडन (डिस्क्लेमर)- स्थानीय भाषा में निर्णय के अनुवाद का आशय, पक्षकारों को इसे अपनी भाषा में समझने के उपयोग तक ही सीमित है और अन्य प्रयोजनार्थ इसका उपयोग नही किया जा सकता । समस्त व्यवहारिक, कार्यालयी, न्यायिक एवं सरकारी प्रयोजनार्थ, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही प्रमाणिक होगा साथ ही निष्पादन तथा कार्यान्वयन के प्रयोजनार्थ अनुमान्य होगा।